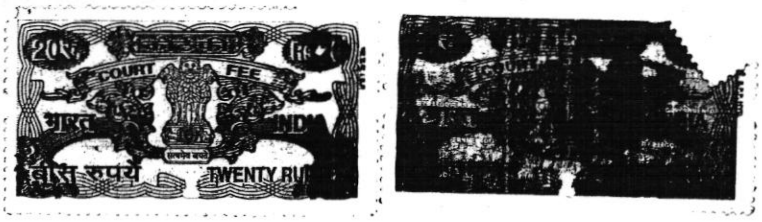

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, कैम्प भोपाल (म.प्र.)

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2018/1989 निगरानी प्र.क्र.

1. सलीम खां, आयु लगभग 67 वर्ष
   पुत्र श्री चुन्नु खां
2. साबिर खां, आयु लगभग 52 वर्ष
   पुत्र श्री चुन्नु खां
3. भूरी बी, आयु लगभग 49 वर्ष
   पुत्री श्री चुन्नु खां
4. नफीसा बी, आयु लगभग 42 वर्ष
   पुत्री श्री चुन्नु खां
5. मुन्नी बी, आयु लगभग 42 वर्ष
   पुत्री श्री चुन्नु खां, जाति गद्दी मुसलमान,
   निवासीगण– मोहल्ला नयापुरा, वार्ड क्र. 4,
   सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.) .... **आवेदकगण**

विरुद्ध

1. मेहमूदा बी, आयु लगभग 72 वर्ष
   पुत्री श्री मुस्तफा शाह
   निवासी– जामा मस्जिद के पीछे, टोंक, राजस्थान
2. प्यारे शाह (मृतक),
   द्वारा उत्तराधिकारीगण –
   (ए) आबिद शाह, आयु लगभग 49 वर्ष
   (बी) हामिद शाह, आयु लगभग 47 वर्ष
   (सी) जाहिद शाह, आयु लगभग 43 वर्ष
   (डी) फरीद शाह, आयु लगभग 34 वर्ष
   (इ) साजिदा बी, आयु लगभग 56 वर्ष
   (ई) आबिदा बी, आयु लगभग 54 वर्ष
   (एफ) खुर्शीदा बी, पुत्र–पुत्रियां प्यारे शाह
   निवासीगण– देवली रोड डिपो, राज कॉलोनी,
   टोंक, राजस्थान
3. कम्मू शाह उर्फ कल्लू शाह पुत्र मुस्तफा अली (मृतक),
   द्वारा उत्तराधिकारीगण–
   (ए), रईस शाह, आयु लगभग 62 वर्ष पुत्र श्री कम्मूशाह
   (बी) असलम शाह
   (सी) रसीद शाह पुत्रगण रफीक खां
   निवासीगण– जामा मस्जिद के पीछे, टोंक, राजस्थान
4. बानो बी, आयु लगभग 67 वर्ष, पुत्र श्री मेमूना बी
   निवासी– जामा मस्जिद के पीछे, टोंक, राजस्थान
5. मेमूना बी पुत्री श्री मुस्तफा शाह, मृतक,
   द्वारा उत्तराधिकारीगण–
   (ए) इमामउद्दीन, आयु लगभग 62 वर्ष
   पुत्र मेमूना बी, निवासी– तालाब के पास, तहसील
   चाकसू, जिला टोंक, राजस्थान ...... अनावेदकगण

....2..

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सिरोंज, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्र. 136/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 24.01.2018 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे है।

प्रकरण के तथ्य

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष एक अपील लगभग 40 वर्ष उपरान्त आवेदकगण के पिता के पक्ष में हुए नामांतरण आदेश दिनांक 02.02.1977 के विरुद्ध इस आशय की प्रस्तुत की गई कि ग्राम छीपीखेड़ी, रा.नि.मं. 5, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा स्थित भूमि खाता सर्वे क्र. 46 रकबा 25 बीघा अनावेदकगण के पूर्वाधिकारी भूमिस्वामी थे तथा उनके पूर्वाधिकारियों द्वारा उक्त भूमि अपीलार्थीगण के पिता चुन्नू खां को कभी पट्टे पर नहीं दी थी और ना ही वह अधिपति कृषक थे। अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी चुन्नू खां ने दिनांक 02.02.1977 को नामांतरण करा लिया है, अभिलिखित भूमिस्वामी को कोई सूचना नहीं दी तथा चुन्नू खां का कब्जा उक्त भूमि पर नहीं रहा है। अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया कि मेहबूबा बी दिनांक 20.06.2016 को तहसील सिरोंज में सूखा राहत राशि लेने आई तो ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि अपीलार्थीगण के नाम हो गई है, उसी दिन अभिभाषक नियुक्त कर रिकार्ड का अवलोकन कराया तो ज्ञात हुआ कि प्रकरण क्र. 1/अ–46/76–77 बमामले चुन्नू खां वि. प्यारे शाह में पारित आदेश दिनांक 02.02.1977 को अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी चुन्नू खां के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में नामांतरण हो गया है एवं प्रकरण जिला अभिलेखागार, विदिशा में जमा हो गया है। प्रतिअपीलार्थी क्र. 1 दिनांक 21.06.2016 को विदिशा गई, आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, प्रतिलिपि दिनांक 15.07.2016 को प्राप्त हुई तथा इसके उपरान्त वह टोंक, राजस्थान अपने घर गई, अभिभाषक शुल्क लेकर आई व अपील सद्भावना के आधार पर प्रस्तुत कर रही है तथा दिनांक 22.02.1977 से 28.02.2016 की अवधि का विलम्ब क्षमा करने का निवेदन किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त आवेदन–पत्र का जवाब प्रस्तुत कर आवेदन–पत्र पूर्ण रूप से अस्वीकार कर विशेष कथन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया कि उक्त अपील एवं आवेदन–पत्र लगभग 40 वर्षों के अत्यधिक विलम्ब के पश्चात प्रस्तुत किये गये हैं। 40 वर्ष उपरान्त टोंक राजस्थान से सूखा राहत राशि लेने आने एवं प्रथम बार आदेश की जानकारी होने के कथन पूर्णतः अविश्वसनीय है। अधीनस्थ्ज्ञ न्यायालय द्वारा मेहमूदा बी, मेमूना बी, प्यारे शाह, मोहम्मद हनीफ शाह, कम्मू शाह को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना भेजी गई थी, इस कारण यह कहना कि कोई सूचना या सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, नितान्त गलत है। मेहमूदा बी एवं अन्य के पूर्वाधिकारी मेमूना बी, प्यारे शाह, मोहम्मद हनीफ शाह,

...3..

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1989

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश गिरी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	